

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY - Urban) जैसलमेर (राज.)
क्रमांक :- IRGY-Urban/2022-23/76 दिनांक 14/06/2022

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पदों के लिए संविदा आधार पर सीधी भर्ती 2022

विस्तृत विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 6 पर की गई घोषणान्तर्गत "इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY - Urban)" विभागीय क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 56 (क) () सी.ई./डीएलबी/आई.आर.जी.वाई.—अरबन/2022-23/30025-30250 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार पत्र क्रमांक एस्टे/एम/एफ 10 ()/आरएमएस/(टी)/डीएलबी/2022/3692-3724 दिनांक 31.05.2022 एवं एस्टे/एम/एफ.10 ()/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/5818-51 दिनांक 01.06.2022 के निर्देशानुसार तथा कार्मिक विभाग राज. सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 17 (4) डीओपी/ए-2/2014 दिनांक 11.01.2022 की अनुपालना में जैसलमेर जिले की समस्त नगरीय निकायों (नगर परिषद् जैसलमेर एवं नगर पालिका पोकरण) में कार्मिकों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई संविदा पर /अनुबंध आधारित कार्मिकों का चयन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	संविदा पद का नाम	निकायवार पद	रिक्त पदों की संख्या	Gen				EWS				SC				ST				OBC				MBC				Horizontal Reservation			
				सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन	EX	Service man	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	जैसलमेर-1 पोकरण-1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	जैसलमेर-3 पोकरण-2	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	लेखा सहायक	जैसलमेर-2 पोकरण-2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	M.I.S. मैनेजर	जैसलमेर-2 पोकरण-1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	शहरी रोजगार सहायक	जैसलमेर-4 पोकरण-2	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शैक्षणिक योग्यता एवं देय मानदेय-

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय (प्रति माह) रुपये में
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री (उत्तीर्ण)	40,000
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री / डिप्लोमा (उत्तीर्ण)	30,000
3	लेखा सहायक	बी. कॉम. / सी. ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर) (उत्तीर्ण)	25,000
4	M.I.S. मैनेजर	BCA (उत्तीर्ण)	25,000
5	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक (उत्तीर्ण) + RSCIT कोर्स (उत्तीर्ण)	15,000

30/06/22 इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व-प्रमाणित शैक्षणिक/आयु/जाति प्रमाण-पत्र/जन्म-प्रमाण पत्र/मूल निवासी प्रमाण पत्रों के दस्तावेजों सहित दिनांक को सांय 6.00 बजे तक कार्यालय समय में नगर परिषद् जैसलमेर में व्यक्तिश/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति/निर्देश कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, नगर परिषद् जैसलमेर के नोटिस बोर्ड एवं नगर परिषद् जैसलमेर की वेबसाइट www.nagarparishadjaisalmer.org पर देखी जा सकती है।

शर्त :-

- राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जावेंगे।
- इस योजना का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
- इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबंध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समयपर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता/पति का नाम, जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया है, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति, मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप नगर परिषद् जैसलमेर (इन्दिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना-प्रकोष्ठ) कार्यालय में एवं नगर परिषद् जैसलमेर वेबसाइट www.nagarparishadjaisalmer.org पर भी देखा जा सकता है।
- उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित हैं जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
- यदि सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं रहती हैं तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।
- आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होंगे एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

09. 01 जनवरी 2023 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी।
10. किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला कलेक्टर जैसलमेर एवं जिला परियोजना समन्वयक जैसलमेर का मान्य होगा तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जैसलमेर जिला मुख्यालय होगा।
11. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
12. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनो के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताको के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल/चयनित अभ्यर्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
13. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्री धारियों से भरे जावेगें तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।
14. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिय जावेगें।
15. ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं ई.डब्ल्यू.एस. का प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
16. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक व आर.एस.सी.आई.टी उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संचारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा। आर.एस.सी.आई.टी. हेतु मैरिट का कोई प्रावधान नहीं रखा जावेगा।
17. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक क्रमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
18. संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जावेगा।
19. संविदा पदों की भर्ती जैसलमेर जिले की स्थानीय निकायों (नगर परिषद जैसलमेर एवं नगर पालिका पोकरण) के लिये संविदा पदों के लिये को जा रही है।
20. संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जैसलमेर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
21. आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
22. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि **20/06/22** सांय 06.00 बजे तक रहेगी।
23. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नही होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
24. महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षेतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत, विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विछिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किय जावेगा।
25. स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद सामान्य वर्ग/अनुरूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं



आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

26. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिये पद आरक्षित है यदि विधवा महिलाएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की प्रथमतः विवाह विछिन्न महिलाओं से एवं विवाह विछिन्न महिला उपलब्ध नहीं होने पर उस श्रेणी वर्ग की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह विछिन्न महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भूतपूर्वक सैनिक हेतु :-

27. भूतपूर्वक सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पद का लाभ देय होगा किन्तु उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद का लाभ देय नहीं होगा।
28. भूतपूर्वक सैनिक प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु) सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया है।
29. प्रतिरक्षा सेवा से सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे नियोजन के लिए अर्हत बना दे।
30. यदि किसी कारणवश भूतपूर्वक सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा।

अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

अन्य योग्यताएं

31. स्वास्थ्य – उक्त पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चरित्र :-

32. चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे की वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके।

नियुक्ति की अयोग्यताएं:-

33. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

34. किसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
35. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु 2 से अधिक आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहरीत नहीं समझा जाएगा जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। परन्तु यह और के जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है। किन्तु किसी एक पश्चावर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं और वहां बच्चों की संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ही समझा जावेगा।
36. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र निर्देश 09.09.2015 के अनुसार होंगे।



जिला कलेक्टर एवं

जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban)

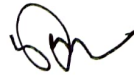
जिला जैसलमेर

क्रमांक :- IRGY-Urban / 2022-23 /

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

01. श्रीमान् शासन सचिव महोदय / श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जैसलमेर।
03. श्रीमान् समापति महोदय, नगर परिषद् जैसलमेर / श्रीमान् अध्यक्ष नगर पालिका पोकरण।
04. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
05. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पोकरण।
06. रक्षित प्रति।



11
(शशिकांत शर्मा)

आयुक्त नगर परिषद एवं

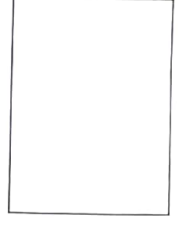
सदस्य सचिव (IRGY-Urban) जैसलमेर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जैसलमेर (राज.)

प्रारूप

आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम i (हिन्दी में) :-
- ii In English (CAPITAL LETTER) :-
2. पिता/पति का नाम i (हिन्दी में) :-
- ii In English (CAPITAL LETTER) :-
3. लिंग (पुरुष/स्त्री) :-
4. पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है :-
5. जाति
संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक
6. आवेदित वर्ग :-
7. जन्मतिथि :- दिनांक माह वर्ष
संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक
8. आयु (01.01.2023 को) :-
9. मूल निवास :-
10. स्थाई पता :-
11. पत्र व्यवहार का पता :-
12. गोबाईल नम्बर :-
13. आधार संख्या :-
14. ई-मेल आईडी :-
15. शैक्षणिक योग्यता :-
- संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक



शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य विवरण
माध्यमिक					
सीनियर सैकेण्डरी					
स्नातक					
डिग्री/डिप्लोमा					
स्नातकोत्तर					

नोट:- समस्त संलग्न दस्तावेज स्व-हस्ताक्षरित साफ-सुथरे एवं छाया-प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) होना चाहिए। किसी प्रकार की काट-छांट अशुद्धि होने पर एवं दस्तावेज सही दृश्य नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। प्रत्येक संलग्न दस्तावेजों की सूची।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं यह शपथ घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित 1 से लगाकर 15 की समस्त जानकारी सही है, कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला जैसलमेर का निर्णय गुप्त मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री का पद

..... हेतु आवेदन पत्र नगर परिषद जैसलमेर कार्यालय में दिनांक
को प्राप्त हुआ, जिसका प्राप्ति क्रमांक है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नगर परिषद जैसलमेर

परिशिष्ट -1

1. 01.06.2002 को जीवित संतानों का विवरण :-

क्र.सं.	बच्चे/संतान का विवरण	जन्मतिथि

2. 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न बच्चों/संतानों का विवरण :-

क्र.सं.	बच्चे/संतान का विवरण	जन्मतिथि

3. कुल जीवित बच्चों/संतानों की संख्या :-

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम व पूर्ण पता